भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1874
दिनांक 11 मार्च, 2025 / 20 फाल्गुन, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

भारत-बांग्लादेश सीमा पर तस्करी

†1874. श्री खलीलुर रहमानः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संपूर्ण भारत-बांग्लादेश सीमा पर भारी तस्करी हो रही है;

(ख) क्या सरकार ने होने वाली तस्करी के मूल्य का अनुमान लगाया है, यदि हां, तो विगत दस वर्षों के दौरान तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) चूंकि सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है, इसलिए इसे नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या सीमा पर समुचित फ्लड लाइटिंग लगाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): भारत-बांग्लादेश सीमा पर तस्करी रोकने के लिए बीएसएफ चौबीसों घंटे निगरानी कर रही है। पिछले दस वर्षों में भारत-बांग्लादेश सीमा पर जब्त किए गए प्रतिबंधित वस्तुओं का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्रम संख्या	वर्ष	जब्त किए गए प्रतिबंधित वस्तुओं का मूल्य (रूपये लाखों में)
1.	2015	24688.88
2.	2016	19020.13
3.	2017	22488.29
4.	2018	13735.67
5.	2019	16987.97
6.	2020	24770.67
7.	2021	34673.19
8.	2022	34947.73
9.	2023	43197.44
10.	2024	46107.70
कुल		280617.67

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1874, दिनांक 11.03.2025

(ग) और (घ): भारत-बांग्लादेश सीमा पर तस्करी रोकने के लिए बीएसएफ ने बहुआयामी रणनीति अपनाई है, जिसमें चौबीसों घंटे निगरानी व गश्त, अवलोकन चौकियों की स्थापना, सुरक्षा बलों की संख्या में वृद्धि, सीमा बाड़ एवं बाड़ प्रकाश व्यवस्था का निर्माण, जल क्षेत्रों की निगरानी हेतु नौकाओं व फ्लोटिंग सीमा चौकियों (BOP) का उपयोग, उन्नत तकनीकी उपकरणों जैसे हैंड-हेल्ड थर्मल इमेजर (HHTI), नाइट विजन डिवाइस (NVD), ट्विन टेलीस्कोप, मानवरहित हवाई वाहन (UAV) की तैनाती, खुफिया तंत्र का सुदृढ़ीकरण तथा राज्य सरकारों एवं खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय शामिल है।

*****